Seventeenth Loksabha

an>

14.27 hrs.

The Lok Sabha reassembled at Twenty Seven Minutes past

Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

14.27½ hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

माननीय सभापति: नियम 377 के अधीन मामले, श्री देवजी पटेल ।

Title: Need to provide Mahi river water through Sujalam Suflam canal to Jalore and Sirohi districts in Rajasthan

श्री देवजी पटेल (जालौर): धन्यवाद सभापति महोदय ।

महोदय, जालौर सिरोही को कडाणा बांध पर निर्मित सुजलाम सुफलाम नहर से माही जल उपलब्ध कराने हेतु खोसला कमेटी रिपोर्ट 01.09.1965 के अनुसार गुजरात-राजस्थान बॉर्डर पर कडाणा बांध बनाना प्रस्तावित किया गया । 01.10.1966 को राजस्थान एवं गुजरात राज्य के बीच माही जल बंटवारा समझौता के तहत कडाणा बांध का निर्माण हुआ, जिसमें पैरा संख्या-01 में वर्णित है कि जब खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित होगा, तब कडाणा बांध के पानी का 2/3 भाग राजस्थान का तथा 1/3 भाग गुजरात का होगा । यह पानी हाई लेवल नहर से जालोर सिरोही को दिया जाएगा । समझौता अनुसार शर्तों की पूर्ति 2005 में हो गई थी, जबसे खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित होने लगा था । इसके बाद कडाणा बांध का पानी 337 किलोमीटर सुजलाम सुफलाम नहर बनाकर उत्तरी गुजरात में उपयोग किया जा रहा है, जो समझोते के विरूद्ध है । कडाणा बांध 37 साल में 27 बार ओवरफ्लो होने के कारण पानी व्यर्थ में बह गया । 15.07.2019 को कडाणा से करीब 5.47 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बड़ोदरा में बाढ़ आई । दीपक दोषी (Water Resources Engineer), Rajasthan River Basin and Water Resource Planning Authority की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2018 में दिया गया है कि 10.01.1966 के समझौते के अनुसार सुजलाम सुफलाम नहर से जालौर सिरोही को जल उपलब्ध कराया जाए ।